प्रकरण संख्या 30/2019 GCMS ID-2019/00057 तारीख रजु–20.02.2019

न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिहाग, आई.ए.एस.

उनवान

सरकार जरिये तहसीलदार मासलपुर तहसील मासलपुर जिला करौली – प्रार्थी

बनाम

1. दयाराम पुत्र गिर्राज जाति गुर्जर निवासी बरबटपुरा तहसील मासलपुर जिला करौली
2. किरणबाई पुत्री गिर्राज पत्नि प्रेम जाति गुर्जर निवासी रतियापुरा तहसील मासलपुर जिला करौली
3. ढकेली पुत्री गिर्राज पत्नि रामस्वरूप जाति गुर्जर निवासी महतोली तहसील भुसावर जिला भरतपुर
4. कल्लन पत्नि गिर्राज जाति गुर्जर निवासी बरबटपुरा तहसील मासलपुर जिला करौली (फौत–नाम हजफ)

– अप्रार्थीगण

रेफरेन्स अंतर्गत धारा 82 भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक–26.08.2021

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि भूमिधारी तहसीलदार मासलपुर ने अप्रार्थी के विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र रेफरेन्स प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि आराजी खसरा नंबर 1029/2, 1032/2, 1033/2 रकबा क्रमशः 2–00, 0–10, 0–10 कुल किता 3 कुल रकबा 3–00 बीघा ग्राम बरबटपुरा तहसील मासलपुर का प्रार्थी लैण्ड होल्डर है। यह कि आराजी खसरा नंबर 1029/2, 1032/2, 1033/2 रकबा 2–00, 0–10, 0–10 बीघा कुल किता 3 कुल रकबा 3–00 बीघा ग्राम डुकावली सम्वत् 2015 एवं इसके पश्चात् गै.मु. नला दर्ज रिकॉर्ड था परन्तु नातांतरकरण संख्या 37 दिनांक 22.05.1970 द्वारा श्री गिर्राज पुत्र बुद्धीराम निवासी बरबटपुरा के नाम जरिये नियमन दर्ज कर दिया गया। वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 तक में दयाराम पुत्र गिर्राज, किरनबाई, ढकेली पुत्रियां गिर्राज, कल्लन पत्नि स्व. गिर्राज जाति गूजर निवासी बरबटपुरा के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। यह कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी, नाले, जलाशयों आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते हैं इस प्रकार से यह अंकित हस्तांतरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त योग्य है। डी0बी0 सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 के द्वारा नदी, नाले, जलाशय आदि की भूमि जो दिनांक 15.08.1947 में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है को वापस सरकारी भूमि में दर्ज करने एवं इसके बाद हुए परिवर्तन को अवैध घोषित किए जाने के निर्देश हैं। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए आराजी खसरा नंबर 1029/2, 1032/2, 1033/2 रकबा 2–00, 0–10, 0–10 बीघा कुल किता 3 कुल रकबा 3–00 बीघा स्थित ग्राम बरबटपुरा को वापस राजकीय भूमि गै.मु. नला दर्ज किए जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

उक्त प्रार्थना पत्र के साथ रिपोर्ट पटवारी, जमाबन्दी सम्वत् 2015, 2073–76 नामांतरकरण संख्या 37/22.05.1970, 101/01.11.1977, 31/18.12.04 की प्रमाणित प्रति संलग्न की है।

तहसीलदार मासलपुर के उक्त प्रार्थना पत्र रेफरेन्स के इस न्यायालय में प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थीगण की गई।

अप्रार्थी संख्या 4 के फौत होने एवं उसके वारिसान के पूर्व से ही रिकॉर्ड पर होने के कारण अप्रार्थी संख्या 4 का नाम हजफ किया गया।

जिला कलक्टर
करौली

अप्रार्थी संख्या 3 ने जवाब पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थीया को दिया गया नोटिस कार्यवाही निराधार, गलत है, नोटिस कार्यवाही खारिज किये जाने योग्य है। आराजी खसरा नंबर 1029/2, 1032/2, 1033/2 रकबा 2–00, 0–10, 0–10 वाके ग्राम बरबटपुरा तहसील मासलपुर जिला करौली में स्थित है जो प्रार्थीया की करीब 30 वर्षो पूर्व से खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि रही है। करीब 30 वर्षों से प्रार्थीया उक्त भूमि पर फसल काश्त कर रही है। फसल काश्त कर अपने परिवार का जीवन–यापन कर रही है। उक्त आराजी कभी भी गैरमुमकिन नाला की भूमि नहीं रही है। प्रारम्भ से फसल काश्त की भूमि रही है जिसमें करीब 30 वर्ष पूर्व से फसल हो रही है। मौके पर कभी भी नाला की भूमि नहीं रही है, ना ही आज भी मौके पर कोई नाला है। पटवारी हल्का द्वारा गलत तौर पर यह रिपोर्ट पेश की गई है। पटवारी हल्का ने बिना किसी रिकार्ड व मौके की स्थिति को देखे यह रिपोर्ट पेश की गई है जो मौके के विपरीत पेश की गई है। मौके पर नाला नहीं है। मौके पर खेत है जिसमें फसल काश्त हो रही है। उक्त भूमि कभी भी नाला की भूमि नहीं रही है, काश्ता भूमि है। प्रार्थीया ने उक्त भूमि की चारों तरफ से मेडबंदी कर रखी है जिसमें लाखों रूपयें खर्च किये जा चुके है। प्रार्थीया का यही एकमात्र भूमि जीवनयापन करने का माध्यम है। उक्त भूमि के अलावा प्रार्थीया के पास कोई भूमि नहीं हैं। ना ही प्रार्थीया के पास रोजगार का कोई अन्य स्त्रोत है। प्रार्थीया उक्त भूमि में फसल काश्त कर अपना व अपने परिवार का जीवन–यापन करती है। प्रार्थीया के उक्त भूमि में फसल काश्त करने से देश में खाद्यान्न बढ़ रहा है। खाद्यान्न की समस्या का समाधान हो रहा है। अपनी व अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है। कृषि उपज बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीया करीब 30 वर्षो से उक्त भूमि में फसल काश्त कर रही है। यदि उक्त भूमि नाले की भूमि होती तो फसल काश्त नहीं होती। मौके पर कोई नाला की भूमि नहीं है। फसल काश्त की भूमि है जिसमें फसल काश्त हो रही है। अंत में प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज फरमाने का निवेदन किया है।

अप्रार्थी बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आये और ना ही उनके द्वारा कोई जवाब पेश किया गया।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का गहनतापूर्वक अवलोकन करते हुए मनन किया। जमाबन्दी संवत् 2015 के अनुसार सिवायचक विला लगानी आराजी खसरा नंबर 1029/2, 1032/2, 1033/2 रकबा 2–00, 0–10, 0–10 बीघा कुल किता 3 कुल रकबा 3–00 बीघा ग्राम डुकावली हाल ग्राम बरबटपुरा गै.मु. नला दर्ज रिकॉर्ड है। नामांतरकरण संख्या 37 दिनांक 22.05.1970 द्वारा श्री गिर्राज पुत्र बुद्धीराम निवासी बरबटपुरा के नाम जरिये नियमन दर्ज की गई है। तत्पश्चात् श्रीमती रामोती पुत्री श्री भगरी जाति जाटव को विरासत से जरिये नामांतरकरण संख्या 247 दर्ज कर दिया गया। वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 तक में दयाराम पुत्र गिर्राज, किरनबाई, ढकेली पुत्रियां गिर्राज, कल्लन पत्नि स्व. गिर्राज जाति गूजर निवासी बरबटपुरा के नाम अंकित है। इससे स्पष्ट है कि यह जमीन पूर्व में गै.मु. नला दर्ज थी जिसकी किस्म परिवर्तन के बाद भूमि का आवंटन किया गया है। चूंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी, नाले, जलाशयों आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते हैं इस प्रकार यह अंकित हस्तांतरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त योग्य है। डी0बी0 सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 02.08.2004 के विस्तृत निर्णय में उल्लेखित किया है कि All the lands shown as drainage channels like nalla, rivers, tributaries etc. as on 15-08-1947 should be declared as Government land. Any conversions made after 15-08-1947 should be declared illegal. The relevant act and rules must be amended accordingly. माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा जनहित याचिका में पारित निर्णय की पालना अपेक्षित है।

जिला कलक्टर
करौली

अतः भूमिधारी तहसीलदार मासलपुर का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 L.R. Act 1956 स्वीकार किया जाकर ग्राम बरबटपुरा की आराजी खसरा नंबर 1029/2, 1032/2, 1033/2 रकबा 2–00, 0–10, 0–10 बीघा कुल किता 3 कुल रकबा 3–00 बीघा ग्राम डुकावली को वापस राजकीय भूमि गै.मु. नला दर्ज करने की अनुशंषा की जाती है जिसकी स्वीकृति देने हेतु मूल पत्रावली राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 26.08.2021 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
जिला कलक्टर
करौली